प्रारूप-झ (संलग्नक-9)

अग्नि एवं जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनाकरण

यूआईडी संख्या: UPFS/2026/204992/AMR/AMROHA/1785/CFO
दिनांक: 23-06-2026

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **AL AASIM EDUCATIONAL ACADEMY** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **141,HASANPUR ROAD,GAJRAULA** तहसील - **DHANAURA** जिसमें

ब्लॉक/टावर	तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
AL AASIM EDUCATIONAL ACADEMY	2	0	6.90 mt.

तथा प्लाट एरिया **5755.15 sq.mt** है। भवन का अधिभोग **AL AASIM EDUCATIONAL ACADEMY** (भवन स्वामी/ अधिभोगी अथवा कम्पनी का नाम) द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित व्यवस्थाओं का अनुरक्षण किया जा रहा है। जिसका निरीक्षण द्वारा दिनाँक **25-06-2026** को भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **MOHAMMAD ASIM** के साथ किया गया तथा भवन में अधिष्ठापित अग्नि एवं जीवन सुरक्षा व्यवस्थाओं को मानकों के अनुसार यथास्थिति में पाया गया। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि एवा जीवन सुरक्षाप्रमाण पत्र का नवीनीकरण (Renewal ofFire & Life Safety Certificate)(एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी) **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **26-06-2026** से **25-06-2031** तक **5** वर्ष के लिये इस शर्त के साथ दिया जा रहा है कि भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के इस प्रमाण पत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्तर्गत पुनः कराया जायेगा तथा नवीनीकरण से पूर्व भवन मं. स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं को क्रियाशील रखने की जिम्मेदारी आपकी होगी ।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों , सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है । इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा ।"

Note : प्रभारी अग्निशमन अधिकारी, गजरौला, जनपद-अमरोहा की संस्तुति सहित आख्या के क्रम में शासनादेश संख्या-18/छः पु0-8-2022/905-34-201 टी0सी0 दिनाँक 07-01-2022, एन0बी0सी0-2016 एवं उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा नियमावली-2024 के उपबन्धों के आधार पर निर्गत। 1. फायर उपकरणों का वार्षिक ए0एम0सी0/मरम्मत अर्ह एजेंसी से कराया जाये। 2. भवन स्वामी द्वारा प्रत्येक 06 माह में फायर इवेकेशन / माकड्रिल व अग्निशमन प्रशिक्षण स्थानीय फायर स्टेशन प्रभारी के पर्यवेक्षण में कराकर रिकार्ड रखें जायेंगे। 3. विद्युत सुरक्षा निदेशालय का विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 4. सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रबंधक की होगी। यदि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होता है, तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

निर्गत किये जाने का दिनांक : 26-06-2026
स्थान : AMROHA

हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)
Anil Kumar Singh
1B1B1B91C88F1AFB293BE03FB798270315813A1A
26-06-2026

Note:- Kinldy check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.